बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक________________ पटना, दिनांक__________

ग्रा.वि. -12ले0वा0-01/2013

प्रेषक,

चन्द्रभान सिंह
सरकार के अवर सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय:- **ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के दो वाहनों के नीलामी हेतु नीलामी - सूचना प्रकाशित करने के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के दो वाहनों की नीलामी हेतु नीलामी-सूचना राज्य के प्रमुख दो समाचार पत्रों हिन्दी एवं अंग्रेजी में दिनांक- 23.02.2013 तक निश्चित रूप से प्रकाशित करने की कृपा की जाय ।

अनु0- यथोपरि ।

विश्वासभाजन
ह/0
(चन्द्रभान सिंह)
सरकार के अवर सचिव
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक:- 138/68 पटना, दिनांक:- 08/02/2013

प्रतिलिपि:- श्री सुनील कुमार, आई0टी0 प्रबंधक, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को नीलामी-सूचना की प्रति के साथ भेजते हुए कहना है कि इसे विभागीय बेवसाइट पर भी अपलोड किया जाय ।

अनु0- यथोपरि ।

08/02/13
सरकार के अवर सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
नीलामी-सूचना

स्टाफ कार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुख्य सचिवालय परिसर में रखे ग्रामीण विकास विभाग के कुल 2 (दो) वाहनों की "जहां है जैसी है" हालत में खुले नीलामी द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के नीलामी समिति के देख-रेख में दिनांक-05.03.2013 को अप0 में मुख्य सचिवालय परिसर में नीलाम ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के द्वारा किया जायेगा । प्रस्तावित नीलामी हेतु स्टाफ कार का निरीक्षण आवश्यकतानुसार क्रेता, ग्रामीण विकास विभाग के अवर सचिव (लेखा) से सम्पर्क स्थापित कर कार्यालय अवधि में कर सकते है । वाहनों की विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	स्टाफ कार/वाहन संख्या	वाहन का प्रकार	वाहन का क्रय वर्ष	मुख्य सचिवालय परिसर में जहां वाहन रखा गया है ।
1	2	3	4	5
1.	BR-1R-6403	अम्बेसडर कार	2001	ग्रामीण विकास विभाग के पास (मुख्य सचिवालय)
2.	BR-1Q-1850	अम्बेसडर कार	2000	ग्रामीण विकास विभाग के पास (मुख्य सचिवालय)

नीलामी की शर्त्तें :-

(क) केवल वे ही व्यक्ति नीलामी में डाक बोलने के हकदार होंगे, जिसके द्वारा प्रतिभूति के रूप में प्रतिवाहन के विरूद्ध रूपया- 5,000.00 मात्र ग्रामीण विकास विभाग के अवर सचिव (लेखा) के द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मचारी के पास नीलामी की तिथि के कम-से-कम एक दिन पूर्व जमा किया जायेगा ।

(ख) सबसे अधिक डाक बोलने वाले व्यक्ति को डाक की राशि का 25 प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत) तत्काल जमा करना होगा । विभाग द्वारा नीलामी का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् दो दिनों के अंदर सम्पूर्ण राशि जमा कर वाहन ले जाया जा सकता है । अन्यथा उनके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति की राशि स्वत: जप्त हो जायेगी । डाक की रकम पर वाणिज्य-कर वैट भी अलग से देय होगा ।

(ग) जिनका डाक अस्वीकृत होगा उनके द्वारा जमा प्रतिभूति की राशि डाक समाप्ति के बाद वापस कर दिया जायेगा । जिनका डाक की दर सबसे अधिक होगा उनकी प्रतिभूति की राशि अन्तिम निष्पादन तक रोक कर रखी जायेगी ।

(घ) विभाग को बिना कारण बतायें डाक को अस्वीकृत करने एवं नीलामी की तिथि में परिर्वतन करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

4/2/2013

(चन्द्रभान सिंह)
सरकार के अवर सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।